न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 126/14

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. गणेशराम पुत्र नैनाराम
   जाति-कुमावत निवासी-बेरा
   शिवसागर गांव-समोखी
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. अर्जुनसिंह पुत्र गायइदानसिंह
2. नारायणसिंह पुत्र गायइदान सिंह
3. उम्मेदसिंह पुत्र गायइदानसिंह
   जातियान-चारण, निवासीगण-निमाज
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.17.06.14

उपस्थितः- 1. श्री सुनील प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 08/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-समौखी, पटवार हल्का-मोहराई, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 16-14 बीघा व खसरा नम्बर 26 रकबा 5-11 बीघा व खसरा नम्बर 166 रकबा 2-19 बीघा कुल खसरा -03 कुल रकबा 25-04 बीघा व खसरा नम्बर 42 रकबा 5-16 बीघा व खसरा नम्बर 44 रकबा 11-11 बीघा कुल खसरा -2 कुल रकबा 17-07 बीघा व खसरा नम्बर 167 रकबा 10-11 बीघा की आई हुई है। उक्त भूमि वादी की पैतृक व पुश्तैनी हक व अधिकार की कब्जा काश्त की भूमि है जिस पर वादी को बाई बर्थ (जन्मत) हक व अधिकार प्राप्त है। नकल चालू जमाबंदी इस वाद-पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त वर्णित आराजी जो कि वादी की पैतृक व पुश्तैनी आराजी है तथा मौके पर वादी बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक से कांबिज होकर काश्त करते चल आ रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण बिना किसी व हक अधिकार के इस भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से वादी की भूमि पर आये व दिनांक 12/06/2014 को ट्रेक्टर लेकर वादी के खातेदारी व हक सुदा में अनाधिकृत रूप से जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से प्रयास किया। जिस पर वादी ने उनका ऐसा करने से मना किया। परन्तु प्रतिवादीगण नही मान रहे है एवं लड़ाई झगड़ा करने पर अमादा है व वादी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। जिस बाबत दिनांक 12/06/2014 को ही वादी ने पुलिस थाना जैतारण में एक रिपोर्ट पेश की जिसकी नकल वादपत्र के साथ पेश है। वादी का अपनी इस पुश्तैनी आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा है तथा प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के उक्त भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी को किसी अजनबी केता को रहन, बैचान, बक्सीस करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाते हैं, तो वादी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ती किसी कदर संभव नही है तथा वादी अपने जायज व साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगें। इसलिये वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद-पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। दिनांक 12/06/2014 को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आये एवं उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से वादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट की व एलानिया कथन किया विवादित आराजी को रहन, बेचान व अन्य हस्तान्तरण कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी ईरादों में काम्याब हो जाता हैं, तो वादी के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। चूंकि वादी के पास उक्त वर्णित भूमि के अलावा अन्य कोई काश्त हेतु आराजी नहीं है। यदि उक्त वर्णित आराजी को भी प्रतिवादीगण जबरदस्ती कब्जा कर वादी को बेदखल कर देते है या उक्त आराजी किसी अजनबी केता को बेचान कर देते हैं, तो वादी भूमिहीन हो जायेगा एवं उसके पास अन्य कोई आराजी नही बचेगी तथा वादी प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्य का विरोध करेगा। जिससे मौके पर लड़ाई झगड़े होंगे, विवाद बढेगा, अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी। इन सब विवादों से बचने के लिये वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। वाद दिनांक 12/06/2014 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके हक हिस्से की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-समौखी, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। जवाबदावा पेश करने हेतु समय चाहा गया। इस दौरान पत्रावली राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र-मोहराई में पेश हुई। वकील प्रतिवादी को समय दिये जाने के बाबजूद भी जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया जाता हैं। राजस्व अभिलेख के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-समौखी, पटवार हल्का-मोहराई, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 16-14 बीघा व खसरा नम्बर 26 रकबा 5-11 बीघा व खसरा नम्बर 166 रकबा 2-19 बीघा कुल खसरा -03 कुल रकबा 25-04 बीघा व खसरा नम्बर 42 रकबा 5-16 बीघा व खसरा नम्बर 44 रकबा 11-11 बीघा कुल खसरा -6 कुल रकबा 17-07 बीघा व खसरा नम्बर 167 रकबा 10-11 बीघा की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अट्ल सेवा केन्द्र-मोहराई पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. गणेशराम पुत्र नैनाराम
   जाति–कुमावत निवासी–बेरा
   शिवसागर गांव–समोखी
   तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

1. अर्जुनसिंह पुत्र गायइदानसिंह
2. नारायणसिंह पुत्र गायइदान सिंह
3. उम्मेदसिंह पुत्र गायइदानसिंह
   जातियान–चारण, निवासीगण–निमाज
   तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:126/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री सुनील प्रजापत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–समौखी, पटवार हल्का–मोहराई, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 16–14 बीघा व खसरा नम्बर 26 रकबा 5–11 बीघा व खसरा नम्बर 166 रकबा 2–19 बीघा कुल खसरा –03 कुल रकबा 25–04 बीघा व खसरा नम्बर 42 रकबा 5–16 बीघा व खसरा नम्बर 44 रकबा 11–11 बीघा कुल खसरा –2 कुल रकबा 17–07 बीघा व खसरा नम्बर 167 रकबा 10–11 बीघा की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	–00	स्टाम्प वकालतनामा	01	–00
स्टाम्प वकालतनामा	01	–00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	03	–00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	–00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	07	–00	मिजानः–	01	–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner